



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (म0प्र0)

कमांक / 3939 / एस0डब्ल्यू / 2020


कटनी, दिनांक 06/05/2020

—: संशोधित आदेश :-

कार्यालीन आदेश कमांक 3647/एस.डब्ल्यू/2019 कटनी, दिनांक 15.04.2020 के द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संपादन करने, किसी दुर्घटना आदि को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में लाक डाउन प्रभावशील होने से आवश्यक सेवाओ के त्वरित मूवमेंट को ध्यान में रखते हुये मो0या0अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म0प्र0मो0या0 नियम 1994 के नियम 215 के अनुसारेण में नो एन्ट्री छूटने का समय रात्रि 11:00 बजे से प्रातः नो एन्ट्री हेतु 24 घंटे छूट प्रभावशील किया गया था।

वर्तमान में भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कटनी जिले में किन्ही आवश्यक/गैर आवश्यक सेवाओ को लाकडाउन से मुक्त रखा गया है जिससे वाहन के आवागमन होने से दुर्घटना आदि से बचाव होने से दृष्टिगत रखते आवश्यक सेवाओ के त्वरित मूवमेंट को ध्यान में रखते हुये मो0या0अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म0प्र0मो0या0 नियम 1994 के नियम 215 के अनुसारेण में नो एन्ट्री हेतु सायं 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक छूट प्रदान किया जाता है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।


  
शशिभूषण सिंह (IAS)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
कटनी (म0प्र0)

पू0कमांक / 3939 / एस0डब्ल्यू / 2020

कटनी, दिनांक 06/05/2020

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, गृह/परिवहन विभाग, भोपाल की ओर
- 2- परिवहन आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- 3- पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक सूचनार्थ ।
- 6- संभाग आयुक्त, जबलपुर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।  
कार्यवाही हेतु ।
- 7- आयुक्त, नगर निगम कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8- अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- थाना प्रभारी यातायात कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वावाही हेतु ।
- 10- जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।

  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
कटनी (म0प्र0)